



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-47/आ.सो. भाग-तीन/कृषि/14-15/

दिनांक 21.08.2015

संशोधित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-47/आ.सो. भाग-तीन/कृषि/14-15/ दिनांक 25.07.2015 के द्वारा कृषि कार्यों के लिए श्रमिक व मशीन कार्य की आऊटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिसमें 24.08.2015 व 07.09.2015 वैकल्पिक तिथियाँ निविदा के लिए निर्धारित थी इन तिथियों में ली जाने वाली निविदा की नियम व शर्तों में कुछ आवश्यक संशोधन किया गया है।

वैकल्पिक तिथियों में ली जाने वाली निविदा में प्री बिड मिटिंग एक दिन पूर्व कार्य दिवस पर सांय 4 बजे से 5 बजे तक की जायेगी। निविदा निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे तक ली जायेगी तथा उसी दिन दोपहर 12 बजे खोली जायेगी। तथा निविदा प्रपत्र भी निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक पर ही विक्रय किया जायेगा। संशोधित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में प्रातः 9.30 से सायः 5.15 तक देखी एवम् प्राप्त की जा सकती है तथा निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(आउट सोर्सिंग की सिंचित एरिया की नियम व शर्तें)

विषय:- फसल उत्पादन में हिस्सा आधारित शस्य कियाओं में इस्तेमाल होने वाले श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग की नियम व शर्तें।

- निविदा दाता को निविदा स्वीकृत होने पर पावर फेन्सिंग के बाहर चक 2 MGM में 38.0 एकड़ में से 38.0 एकड़, चक 4 MGM में 110.0 एकड़ में से 88.0 एकड़ व चक 6 MGM में 125.0 एकड़ में से 100.0 एकड़ क्षेत्र में बिजाई करने के लिए वह बाध्य होगा।
- खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) पानी (उपलब्धतानुसार) फसलवार फार्म द्वारा तय नार्मस के मुताबिक फार्म की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा।
- खेती से संबंधित समस्त कार्य, जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुवाई, उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ-सफाई, फसल निराई-गुड़ाई, रोगिंग फसल की रखवाली, कटाई/गहाई उत्पादन को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने इत्यादी में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यान्त्रिक आपरेशन ठेकेदार को करने होंगे इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च की एवज में फसल उत्पादन (साफ उत्पादन) का हिस्सा दिया जाएगा जिसका निर्धारण टैण्डर के माध्यम से वर्ष 2015-16 के (रबी 15-16) सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्से के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार फसल के उत्पादन को खलिहान पर प्राप्ति के 15 दिन बाद किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में श्रीगंगानगर मण्डी के आवक पीरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- निविदाता (ठेकेदार) द्वारा संबंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पाद को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने तक का कार्य संबंधित चक इन्चार्ज, खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा।
- निविदाता को सिंचाई हेतु नहर में समय समय पर आने वाले पानी के बहाव के दौरान ही निम्नानुसार चकवार पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा :-

क्र सं०	चक	समय अवधि	दिन व समय
1	2 MGM	कुल 30 घंटे	सोमवार के सुबह 8.00 बजे से मंगलवार दोपहर के 2.00 बजे तक (कुल 30 घंटे)
2	4 MGM	कुल 96 घंटे	सोमवार के सुबह 8.00 बजे से शुक्रवार सुबह के 8.00 बजे तक (कुल 96 घंटे)
3	6 MGM	कुल 53 घंटे	सोमवार के सुबह 8.00 बजे से बुधवार दोपहर के 1.00 बजे तक (कुल 53 घंटे)

- बीज उत्पादन के लिये पृथक करण, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
- विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
- कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण उत्पाद फार्म को देना होगा।
- संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, वह इस बाबत एक हलपनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में ठेका पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को सम्भलवाएगा। फार्म की उक्त चल-अचल संपत्ति का ठेकेदार व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकासान, चोरी आदि की भरपाई ठेकेदार के कार्य के बिल के भुगतान/जमा धरोहर राशि से किया जायेगा।
- संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवं अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
- बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन किया जाएगा।
- संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने क्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा।
- ठेकेदार को ठेके के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
- हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग का कार्य रबी सिजन (रबी 15-16) के लिए रखा जायेगा।
- ठेकेदार को अपना पेन कार्ड न.0 देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी काटेगा।
- निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है।

- 17- ठेकेदार का संबंध केवल कृषि कार्य से रहेगा ।
- 18- ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थाई निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त) नहीं होगा।
- 19- ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व मशीन की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 20- विशेष प्राकृतिक आपदा / परिस्थितियां जिनका पूर्व अनुमान /नियन्त्रण/निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अन्तिम होगा।
- 21- सभी फसलों का नीरा गूना ठेकेदार का होगा जिसका निस्तारण गह्राई के 15 दिन के अन्दर वह स्वयं करेगा।
- 22- किये गये कार्य श्रमिक व मशीन मद में खर्च के एवज में ठेकेदार को पहली किस्त सीजन की फसल बुवाई के उपरान्त अग्रिम भुगतान के रूप में रु0 1500/- प्रति हैक्टेयर व दूसरी किस्त रु0 1000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से फसल कटाई के पूर्व भुगतान का प्रावधान रहेगा जिसके अंतिम देय भुगतान से समायोजित कर लिया जाएगा।
- 23- कृषि प्रक्रिया का निर्धारण फसल व प्रजाति की आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा निविदा के पूर्व किया जाएगा।
- 24- फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान आदि के बारे में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा जोकि दोनों पक्षों में मान्य होगा।
- 25- प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन के कारणों की समीक्षा की जाएगी। यदि ठेकेदार की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पाई जाती है तब ठेकेदार इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 26- फसल उत्पाद में होने वाले नुकसान व चोरी इत्यादि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 27- पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सहप्रबन्धक निदेशक, कॉरपोरेट ऑफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके नामित ऐकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायालय में क्षेत्राधिकार माना जाएगा जिसके अन्तर्गत फार्म आता है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

प्रबन्धक (उत्पादन)

21/08/18

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-47/आ.सो.,भाग-तीन/कृषि/15-16/ दिनांक:-

प्रस्तावित न्यूनतम उपज सीमा

सीजन	चक नं.	फसल का नाम मय एरिया (एकड़)	फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति एकड़ (क्विंटल में)
रबी 2015-16	2 एम.जी.एम., 4 एम.जी.एम. व 6 एम.जी.एम.	सरसों	3.00
		गेहूँ	7.00
		जौ	6.00
कुल क्षेत्र		273.0 एकड़	

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)



NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-47/आ.सो. भाग-तीन/कृषि/15-16/

दिनांक

निविदा प्रपत्र

1. फर्म या ठेकेदार का नाम व पता:-----
2. पेन नम्बर:-----
3. धरोहर राशि का विवरण डी0डी0नम्बर :------

कं० सं०	चक का नाम व प्रस्तावित एरिया	हिस्से की दर % में जो निविदादाता द्वारा ली जानी है।	
		रबी 2015-16	हिस्सा का विवरण प्रतिशत में
1.	कुल सिंचित एरिया 273.0 एकड़ 2 MGM (कुल क्षेत्र 38.0 एकड़) 4 MGM (कुल क्षेत्र 110.0 एकड़) 6 MGM (कुल क्षेत्र 125.0 एकड़)	जौ, गेहूँ, सरसो व अन्य फसलें।	रबी 2015-16 -----%

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....